

>

Title: Introduction of the Women and Girl Child (Prevention of Atrocities) Bill, 2019.

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि बालिकाओं और महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों को नियंत्रित करने के लिए कठोर दण्ड, अत्याचारों के पीड़ितों के लिए पुनर्वास उपायों तथा महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध अत्याचार के मामलों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों का गठन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

HON. CHAIRPERSON : The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for stringent punishment to curb atrocities against girl child and women, rehabilitation measures for victims of atrocities and constitution of special courts to try cases of atrocities against women and girl child and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

15.50 ½ hrs

श्रीमती रीती

पाठक :

महोदय, मैं
विधेयक को
पुरःस्थापित
करती हूँ ।